कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक– 1440 /मीरजापुर/15 ,दिनांक, मीरजापुर, नवम्बर, 17,2016।

सेवा में,

श्री किशोर सोनक, एस0डी0आर0एम0,
इण्डियन ऑयल कारपो0 लि0, (वि0प्र0),
मण्डलीय कार्यालय, 5 वॉ तल
इन्दिरा भवन सिविल लाइन, इलाहाबाद।

विषय– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा मीरजापुर–रीवा मार्ग (एन.एच.–7) न्यू एन.एच. –135 संख्या–93 के किनारे दायी पटरी में ग्राम–बामी, तहसील–लालगंज, जिला–मीरजापुर के आ0स0–1743 एवं 1744 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1454 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ– उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 का पत्रांक सं0–पी0–151/14–2–2016–800(147)/2016 लखनऊ दिनांक 10.11.2016।

महोदय,

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा मीरजापुर–रीवा मार्ग (एन.एच.–7) न्यू एन.एच. –135 के कि0मी0 संख्या–93 के किनारे दायी पटरी में ग्राम–बामी, तहसील–लालगंज, जिला–मीरजापुर के आ0स0 1743 एवं 1744 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1454 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की गई है। अतः आप से अनुरोध है कि उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन करते हुए निम्न प्रकार अनुपालन आख्या अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके:–

(1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा।

(2) सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।

(3) फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1X1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा।

(5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम होगा।

(6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से 0.1454 हे0 X रू0 6.26 लाख= रू0 91020.40 या 91020.00 (इक्यानवे हजार बीस रूपया मात्र) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, कैम्पा लखनऊ के पत्रांक–128/2–37–2(सीलिंग दर) दिनांक 05.08.2016 के अनुसार 100 वृक्षो का ब्रिकगार्ड सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण 6 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 4001.75 X100= रू0 400175.00 (चार लाख एक

Scanned by CamScanner

सौ पचहत्तर रू0 मात्र) अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में RTGS के माध्यम से जमा किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक–1101/2–37–2 (पुष्टि) दिनांक 29.05.2015 द्वारा दिया गया दिशा निर्देश संलग्न है। तदोपरान्त RTGS की स्लिप सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मंदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का वियरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय, तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(8) उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(9) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(10) नोडल, अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट,क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(11) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेगे।

(12) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(13) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(14) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(15) भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J–11013/41/2006 –IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदित तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(16) उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

Scanned by CamScanner

(19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव बिहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चूरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(20) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।

(21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चत किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।

(22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(24) इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(25) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक––11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या–एफ0एन0 संख्या–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा–निर्देश के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।

(27) प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(28) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(29) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के0के0पाण्डे)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर,वन प्रभाग मीरजापुर

Scanned by CamScanner